



संख्या-59/2023/3031/77-6-2023/6003/67/2019 पार्ट-1

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 15 दिसम्बर, 2023

विषय:- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु रु0 900.29 लाख की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 वित्तीय निगम के पत्रांक-352/विनि/वियोवि/2023-24 दिनांक 29.08.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के अन्तर्गत पात्र इकाइयों को स्वीकृत किए गए ब्याजमुक्त ऋण की धनराशि वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए योजनान्तर्गत आवंटित बजट धनराशि रु0 125.00 करोड़ के सापेक्ष कुल रु.900.29 लाख (रूपये नौ करोड़ उन्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने की संस्तुति सहित अनुरोध किया गया है। पात्र इकाई का उपलब्ध कराया गया वर्षवार विवरण निम्नवत है:-

(रु0 लाख में)

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत ऋण की धनराशि
1	मे0 पावरकॉन सीमेन्ट प्रा0लि0, चन्दौली	2017-18	97.76
2.	मे0 पावरकॉन सीमेन्ट प्रा0लि0, चन्दौली	2018-19	223.89
3.	मे0 पावरकॉन सीमेन्ट प्रा0लि0, चन्दौली	2019-20	207.16
4.	मे0 पावरकॉन सीमेन्ट प्रा0लि0, चन्दौली	2020-21	141.09
5.	मे0 पावरकॉन सीमेन्ट प्रा0लि0, चन्दौली	2021-22	230.39
	कुल योग		900.29 (रु0 नौ करोड़ उन्तीस हजार मात्र)

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु.125.00 करोड़ (रुपये एक सौ पच्चीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष उपरोक्त इकाईयों को वितरित किए जाने के लिए आपके निवर्तन पर रखने हेतु कुल धनराशि रु0 900.29 लाख(रु0 नौ करोड़ उन्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- 1- स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है उसके बैंक खाते में सीधे अन्तरित कर जमा की जाएगी।
2. किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा रखा जाएगा।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, कानपुर के माध्यम से तत्काल शासन के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त(आय व्ययक)अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा।

6- स्वीकृत धनराशि उन पात्र इकाईयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012(यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।

7. पात्र इकाईयों को वितरित ऋण की वसूली का पूरा उत्तरदायित्व उ0प्र0 वित्तीय निगम का होगा। उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा इकाईयों को स्वीकृत किए गए ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी।

8. उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि पात्र इकाईयों को अनुमन्य ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि राज्य सरकार की नीति के प्राविधानों के अनुसार है। स्वीकृत की जा रही धनराशि की शुद्धता उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

9. उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित इकाई द्वारा ऋण अदायगी किए जाने के 02-03 कार्यदिवसों के अन्दर धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाए।

10. ऋण वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूली जाने वाली ब्याज(1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।

11. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।

12. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा किया जाएगा। उ0प्र0 वित्तीय निगम उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष ऋण वितरण का अनुश्रवण भी आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरांत ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।

13. उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा वितरित ऋण की वसूली नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। वसूली में शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाएगी।

14. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

15- उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमाली-2012 के प्रावधानों के अनुसार इकाई की पात्रता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। इस बिन्दु पर भी संतुष्ट हो लेंगे कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 के अन्तर्गत उक्त इकाईयों को स्वीकृत किये गए ऋण की वापसी हेतु प्रभावी व्यवस्था तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं एवं इस आशय की आख्या उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर को उपलब्ध कराने के पश्चात ही उनके द्वारा धनराशि आहरित की जाएगी।

16. उ0प्र0 वित्तीय निगम धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,00,29,000 (रुपये नौ करोड़ उन्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 6885011900700 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2012 मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-132-X-2023-24-दिनांक:28-11-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार मौर्य
संयुक्त सचिव।

संख्या-59/2023/3031(1)-77-6-2023-6003-67-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
- 3- अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वित्तीय निगम कानपुर को पत्रांक-352/विनि/वियोवि/2023-24 दिनांक 29.08.2023, के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
- 9- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 10- नियोजन अनुभाग-1/4
- 11- औद्योगिक विकास अनुभाग-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
संयुक्त सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।